[2019] 6 एस. सी. आर. 478

प्रधान आय कर आयुक्त 6

बनाम

नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(2019 की सिविल अपील संख्या 3450)

8 अप्रैल, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्तियाँ]

आयकर अधिनियम, 1961 - धाराएं 260-क, 148 - निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) ने प्रतिवादी को धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया - प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को आई. टी. ए. टी. द्वारा स्वीकार कर लिया गया – पीड़ित हो, राजस्व ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की - उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अपील को आरम्भ में ही खारिज कर दिया कि इसमें अधिनियम की धारा 260क के अर्थ के भीतर कानून का कोई सारवान प्रश्न शामिल नहीं था - अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय का आदेश वैध रूप से टिकने वाला नहीं है - राजस्व विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 260क के तहत दायर अपील पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित चार प्रश्नों का उनके संबंधित गुण-दोष पर उत्तर दिए जाने की आवश्यकता थी। - (i) क्या आई. टी. ए. टी. यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित था कि ए. ओ. द्वारा धारा 148 के तहत जारी किया गया नोटिस कानूनी रूप से खराब था, जबकि स्वीकार्य रूप से उस मामले में आक्षेपित नोटिस उस मामले में जारी किया गया था जहां निर्धारण अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत किया गया था, न की अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत - (ii) क्या आई. टी. ए. टी. यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित था कि अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी किया गया नोटिस खराब था क्योंकि यह इस तथ्य की अनदेखी करके केवल राय परिवर्तन पर आधारित था कि ऐसी कोई राय बनाने के लिए कोई आधार नहीं था - (iii) जब स्वीकार्य रूप से विचाराधीन नोटिस ने अधिनियम की धारा 148 की आवश्यकताओं को पूरा पूरा किया, जैसा कि यह था, अर्थात्, पहला, इसमें "विश्वास करने के कारणों" का गठन करने वाले तथ्य शामिल थे और दूसरा, इसने निर्धारिती की छूट गई आय का आकलन करने के लिए आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए थे, क्या आई. टी. ए. टी. अभी भी इन स्वीकृत तथ्यों में से किसी को भी ध्यान में रखे बिना नोटिस को कानूनी रूप खराब से घोषित करने में न्यायोचित था। - (iv) यदि नोटिस को उचित और वैध माना जाता है, तो क्या आई. टी. ए. टी. द्वारा मामले के गुण-दोष के प्रत्येक पहलू पर दर्ज किया गया निष्कर्ष, जो नोटिस का विषय है, वैध रूप से टिकाता है - इस प्रकार, कानून के अनुसार गुण-दोष पर उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मामला उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 3450

2016 के आई. टी. ए. संख्या 854 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.04.2017 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री रेखा पांडे, अक्षय अमृतांशु (श्रीमती अनिल कटियार के लिए), अधिवक्तागण - अपीलार्थी के लिए।

विकास श्रीवास्तव, जतिंदर पाल सिंह, सुमित मंगल, विक्रांत ए. माहेश्वरी (मयंक पांडे के लिए), अधिवक्तागण - प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 2016 के आई. टी. ए. संख्या 854 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा पारित दिनांकित 21.04.2017 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने, इस में अपीलार्थी, द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था।

3. इस अपील के निपटारे के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिसमें एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है।

4. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 260-क के तहत दायर राजस्व (इसमें अपीलार्थी) की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें अधिनियम की धारा 260-क के अर्थ के भीतर कानून का कोई सारवान प्रश्न शामिल नहीं है।

5. दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय का रुख था कि चूंकि अपील में कानून का कोई सारवान प्रश्न शामिल नहीं है, इसलिए यह आरम्भ में ही खारिज होने योग्य है।

6. अपीलार्थी राजस्व (आयकर आयुक्त) है और प्रतिवादी एक निर्धारिती होता है। यह मुद्दा एक मूल्यांकन वर्ष (1999-2000) से उत्पन्न होता है।

7. यह मुद्दा अनिवार्य रूप से अधिनियम की धारा 148 के तहत प्रतिवादी को निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा जारी किए गए नोटिस की वैधता और शुद्धता से संबंधित है और मूल्यांकन आदेश में ए.ओ. द्वारा किए गए परिणामी निर्धारण से संबंधित है जिसके लिए प्रतिवादी को आक्षेपित नोटिस जारी किया गया था।

8. प्रतिवादी (निर्धारिती) द्वारा नोटिस पर उठाई गई आपत्तियों में यह तर्क दिया गया है कि चूंकि आक्षेपित नोटिस "राय में बदलाव" पर आधारित था और इसलिए आई. टी. ए. टी. द्वारा इसे कानून में खराब बरकरार रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी की अपील को अनुमति दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व की अपील को खारिज कर दिया गया। राजस्व ने उच्च

न्यायालय के आदेश से व्यथित महसूस किया है जिसमें उनकी अपील को आरम्भ में ही खारिज कर दिया गया है और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की गई है।

9. इस अपील में विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय राजस्व की अपील को यह मानते हुए खारिज करने में सही था कि इसमें कानून का कोई सारवान सवाल शामिल नहीं था।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और मामले के अभिलेख के अवलोकन पर, हमारा रुख है कि उच्च न्यायालय इस आधार पर अपील को खारिज करने में न्यायोचित नहीं था कि अपील में कानून का कोई सारवान प्रश्न शामिल नहीं था। इसलिए हम इस अपील को अनुमति करने, आक्षेपित आदेश को अपास्त करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर अपीलार्थी की अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में प्रतिप्रेषित करने के लिए विवश हैं।

11. हमारे सुविचारित विचार में, आई. टी. ए. टी. द्वारा अपील संख्या 1870/डी. ई. एल./2010 में पारित दिनांकित 03.06.2016 के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अधिनियम की धारा 260-क के तहत राजस्व (इसमें अपीलकर्ता) द्वारा दायर इस अपील में कानून के निम्नलिखित सारवान प्रश्न उत्पन्न होते हैं और इसे उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए तैयार किया जाना चाहिए थाः

1. क्या आई. टी. ए. टी. यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित था कि धारा 148 के तहत ए. ओ. द्वारा जारी किया गया नोटिस कानूनी रूप से गलत था, जब कि स्वीकार्य रूप से आक्षेपित नोटिस उस मामले में जारी किया गया था जहां मूल्यांकन अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत किया गया था, न की अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत।

2. क्या आई. टी. ए. टी. यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित था कि अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी किया गया नोटिस खराब था क्योंकि यह इस तथ्य की अनदेखी करके केवल राय परिवर्तन पर आधारित था कि ऐसी कोई राय बनाने का कोई आधार नहीं था।

3 जब स्वीकार्य रूप से विचाराधीन नोटिस ने अधिनियम की धारा 148 की आवश्यकताओं को पूरा किया, जैसा कि यह था, अर्थात्, पहला, इसमें "विश्वास करने के कारणों" का गठन करने वाले तथ्य शामिल थे और दूसरा, इसने निर्धारिती की छूट गई आय का आकलन करने के लिए आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए थे, क्या आई. टी. ए. टी. अभी भी इन स्वीकृत तथ्यों में से किसी को भी ध्यान में रखे बिना नोटिस को कानूनी रूप खराब से घोषित करने में न्यायोचित था।

4. यदि नोटिस को उचित और वैध माना जाता है, तो क्या आई. टी. ए. टी. द्वारा मामले के गुण-दोष के प्रत्येक पहलू पर दर्ज किया गया निष्कर्ष, जो नोटिस का विषय है, वैध रूप से टिकाता है।

12. हमारे सुविचारित विचार में, अधिनियम की धारा 260-क के तहत राजस्व (इसमें अपीलार्थी) द्वारा दायर अपील पर निर्णय लेते समय उपरोक्त तैयार किये चार प्रश्नों का उत्तर उच्च न्यायालय द्वारा उनके संबंधित गुण-दोष पर दिए जाने की आवश्यकता है।

13. इसलिए हमारा मानना है कि इस तरह का आदेश वैध रूप से टिकने वाला नहीं है और इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

14. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। कानून के अनुसार गुण-दोष पर उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर दिया जाता है।

15. चूंकि हमने मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को भेजने के लिए एक राय बनाई है, इसलिए हमने इस अपील पर निर्णय लेते समय मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। इसलिए, उच्च न्यायालय इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित अपील पर निर्णय लेगा।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई